

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 23/2019-20

क्रमांक : एफ.7(25) भर्ती/फिजियोथेरेपिस्ट/EP-I/2017-18/389

दिनांक : 19.03.2020

आयोग के विज्ञापन संख्या 08/भर्ती/फिजियोथेरेपिस्ट/EP-I/2017-18 दिनांक 29.03.2018 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के 28 पद विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 04/2018-19 दिनांक 04.05.2018 एवं 05/2018-19 दिनांक 15.05.2018 को जारी किये गये थे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण, अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण व अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 द्वारा विशेष योग्यजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने तथा इस संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट के 28 पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पुनः आमंत्रित किये जाते हैं तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

1. विभाग से प्राप्त उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

No. of Post (s)	Gen.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				Horizontal Reservation	
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक
28	10	2	1	0	4	0	0	0	3	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	LD/CP-2	3

- उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाईन पोर्टल <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply Online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 09.04.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आवेदक को एस.एम.एस. के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर अपने नाम के अतिरिक्त त्रुटि संबंधी संशोधन ऑनलाईन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय/पद, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या 08/2017-18 दिनांक 29.03.2018 के तहत पूर्व में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में उक्त अवधि के दौरान अपने नाम के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाईन कर सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था परन्तु अब अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण हेतु पात्र है, वे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के संबंध में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से कर लें, उनके के लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की सुविधा दिनांक 23.04.2020 से 29.04.2020 तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
- आयु, वांछित शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के आधार पर अपात्र अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है।
- इस शुद्धि पत्र के तहत ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों के आयु की गणना नियमानुसार दिनांक 01.01.2021 को आधार मानकर की जायेगी।
- उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन व शुद्धि पत्रों के अनुसार यथावत् रहेगी।

(आशीष गुप्ता)
सचिव